(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/217

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 रा. भू.राजस्वअधि.	150/2024 150/24	23-05-2024	ANT 30/5/24	30/05/24

अनवान

श्री शान्तिदेवी w/o कैला

निवासी उन्डो का खेड़ा

श्री बालु s/o छीतर वगैरह

निवासी बुधपुरिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री मनीष धाकड़

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

शान्ति देवी बनाम बालू वगैरह

किस्म मुकदमा 111-128 नम्बर 150/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 30/05/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
0/5/2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को रजि-डाक से तामील करवाई गई। विपक्षीगण बाद पुकार अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 150/24 तारीख दायर 23/05/24

1–शांतीदेवी पत्नि केला जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1– बालू पुत्र छीतर जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2– नाथू पुत्र रूघा जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना जी का झोपडा माल का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

3–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 30/5/24

:–आदेशः–

प्रार्थनापत्र शांतीदेवी पत्नि केला ने जरिये अधिवक्ता **श्री दीपक मीणा एडवोकट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 462 आराजी नंबर 84 रकबा 0.3561 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 462 आराजी नंबर 84 रकबा 0.3561 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/—रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 150/24 तारीख दायर 23/5/24

प्रेशितिः–

तहसीलदार

बिजौलियॉ

विषय :–प्रकरण संख्या ....150/24..........पत्थरगढी बाबत्।

1–शांतीदेवी पत्नि केला जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1– बालू पुत्र छीतर जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2– नाथूं पुत्र रूघा जाति भील उम्र वयस्क निवासी किशना जी का झोपडा माल का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

3–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण के आदेश होकर लेख है कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 462 आराजी नंबर 84 रकबा 0.3561 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **श्यामपुरा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ